रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2017 दिनांक 20.09.2017

No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2017

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)

All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)

(वेब साइट के द्वारा/Through Website)

विषय : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष **2016-17** के लिए उत्पादकता असम्बद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना ।

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7/4/2014/ई-III(ए), जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रसारित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 7/4/2014/E.III (A) dated 19.09.2017 on the above subject, which is available on the website of MoF, is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

संलग्नक: यथोपरि

कविता

(कविता गर्ग)

रक्षा लेखा व० उप महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 ।
2. लेखा परीक्षा – 1, 2 (स्थानीय) ।
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय) ।
4. आई.टी.एवं एस. विंग (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी ।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय) ।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14 ।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे} ।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता} ।

(कविता गर्ग)

रक्षा लेखा व० उप महानियंत्रक

संख्या- 7/4/2014/ई-III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(संस्था-III (ए) शाखा)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
19 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2016-17 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह "ग" के कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जो उत्पादकता से संबद्ध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2016-17 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की अधिकतम सीमा, 29 अगस्त, 2016 के का.ज्ञा.सं.7/4/2014-ई.III(ए) के तहत 01/04/2014 से यथा-संशोधित 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धियों की होगी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. यह लाभ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:-

(i) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.03.2017 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2016-17 में न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की है। वर्ष में छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जाएगी।

(ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना की उच्चतम सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तत्पश्चात् दिए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा को 7000/- रुपए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000/- रुपए से ज्यादा हैं) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x 30/30.4 = 6907.89/- रुपए (पूर्णांकित 6908/- रुपए) बनेगा।

अमताभ सिंह

(iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के पात्र होंगे। देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि 1200 रुपए x 30/30.4 अर्थात 1184.21/- रुपए (पूर्णांकित 1184/- रुपए) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णांक में किए जाएंगे।

(v) तदर्थ/उत्पादकता असंबद्ध बोनस के विनियमन के संबंध में विभिन्न बिंदु अनुबंध में दिए गए हैं।

3. इस मद में होने वाला व्यय उन संबंधित शीर्षों के नामे डाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते डाले जाते हैं।

4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मद में होने वाला व्यय चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संस्वीकृत बजट प्रावधान के अंदर पूरा किया जाना है।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि को मानक सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य तौर पर भेजी जाने वाली अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

अनुबंध

बिन्दु	स्पष्टीकरण
1. क्या निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारी संबंधित लेखा वर्ष के लिए तदर्थ बोनस लाभ के पात्र हैं?	कम से कम छह माह की अनवरत सेवा पूरी करने और 31 मार्च, 2017 को सेवा में होने के अध्यधीन।
(क) पूर्णतः अस्थाई तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी।	(क) जी हां, यदि सेवा में कोई व्यवधान न हो।
(ख) 31 मार्च, 2017 से पहले सेवा से त्यागपत्र देने वाले, सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारी।	ख) विशेष मामले के तौर पर केवल वही व्यक्ति जिन्होंने 31 मार्च, 2017 से पहले अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली हो अथवा चिकित्सा आधार पर अशक्तता के कारण सेवानिवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु हुई हो किंतु वर्ष के दौरान कम से कम छह माह की नियमित सेवा पूरी की हो, सेवा के महीनों की निकटतम संख्या के रूप में यथानुपात आधार पर तदर्थ बोनस के पात्र होंगे।
(ग) 31 मार्च, 2017 को राज्य सरकारों, संघ राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति/ बाह्य सेवा शर्तो पर कार्यरत कर्मचारी।	(ग) ऐसे कर्मचारी प्रदाता विभागों द्वारा तदर्थ बोनस भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस के भुगतान की जिम्मेदारी आदाता संगठन में लागू तदर्थ बोनस/उत्पादकता संबद्ध बोनस/ अनुग्रही भुगतान/प्रोत्साहन भुगतान स्कीम यदि कोई हो, के आधार पर आदाता संगठन की होती है।
(घ) ऐसे कर्मचारी जो लेखा वर्ष में उपर्युक्त 'ग' में उल्लिखित संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा पर रहने के बाद प्रत्यावर्तित हुए हों।	(घ) बाह्य सेवा नियोक्ता से लेखा वर्ष के लिए प्राप्त कुल बोनस/अनुग्रही राशि और प्रत्यावर्तन के बाद भी अवधि के लिए केन्द्र सरकार के कार्यालय से प्राप्य तदर्थ बोनस, यदि कोई हो, इन आदेशों के अनुसार तदर्थ बोनस के तहत देय राशि तक सीमित रखा जाएगा।

अमन्ता सिंह

ड.) केन्द्र सरकार में प्रतिवर्ती प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी।	(ड.) जी हां, इन आदेशों के अनुसार ये कर्मचारी आदाता विभागों से तदर्थ बोनस भुगतान के लिए पात्र हैं बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति की शर्तों के भाग के रूप में प्रतिनियुक्ति भत्ते के अलावा कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान न किया जाता हो और प्रदाता प्राधिकारियों को कोई आपत्ति न हो।
(च) अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी, जिन्हें पुनर्नियोजित किया गया हो।	(च) चूंकि पुनर्नियोजन नया नियोजन होता है, इसलिए पुनर्नियोजन की अवधि हेतु पात्रता की अलग से गणना की जाएगी; अधिवर्षिता से पहले की अवधि और पुनर्नियोजन की अवधि के लिए स्वीकार्य कुल राशि, यदि कोई हो, इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य राशि तक सीमित होगी।
(ज) संविदा कर्मचारी	(ज) जी हां, यदि ऐसे कर्मचारी महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत जैसे लाभों के पात्र हैं। इन लाभों की पात्रता न रखने वाले कर्मचारियों के वर्गों को तदर्थ बोनस के आदेशों के संदर्भ में नैमित्तिक श्रमिकों के समान समझा जाएगा। चूंकि अनुसंधान अध्येताओं को परिलब्धियां प्राप्त नहीं होती, अत: वे इस लाभ के पात्र नहीं हैं।
(झ) लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय निलंबित रहे कर्मचारी।	(झ) लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलंबित रहे किसी कर्मचारी को दिए गए निर्वाह भत्ते को परिलब्धि नहीं माना जा सकता। ऐसा कर्मचारी यदि निलंबन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र हो जाता है, और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को, अवेतन छुट्टी पर रहे कर्मचारियों के मामले की तरह पात्रता के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जाएगा।

अमताभ सिंह

(ञ) तदर्थ बोनस के आदेशों में शामिल किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से तदर्थ बोनस के आदेशों में शामिल भारत सरकार के अथवा संघ राज्यक्षेत्र सरकार के कार्यालय में अथवा किसी स्वायत्त निकाय में या इसके उलट वहां से स्थानांतरित कर्मचारी।	(ञ) तदर्थ बोनस के आदेशों में शामिल किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से किसी अन्य कार्यालय में, सेवा में व्यवधान के बगैर स्थानांतरित हुए कर्मचारी भिन्न-भिन्न संगठनों में संयुक्त सेवा अवधि के आधार पर पात्र होंगे। सीमित विभागीय अथवा खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर एक संगठन से किसी दूसरे संगठन में नामित हुए कर्मचारी भी तदर्थ बोनस के पात्र होंगे। भुगतान केवल उसी संगठन द्वारा किया जाएगा जहां पर कर्मचारी 31 मार्च, 2017 को नियोजित था और पूर्व नियोक्ता के साथ कोई समायोजन आवश्यक नहीं होगा।
(ट) तदर्थ बोनस के आदेशों में शामिल किसी सरकारी विभाग/संगठन से उत्पादकता संबद्ध बोनस स्कीम में शामिल किसी सरकारी विभाग/संगठन में स्थानांतरित अथवा इसके उलट वहां से स्थानांतरित कर्मचारी।	(ट) ऐसे कर्मचारियों को उस राशि में से, जिसका भुगतान उसे तदर्थ भुगतान के आदेशों में शामिल विभाग में संपूर्ण वर्ष के लिए परिलब्धियों के आधार पर किया जाता, उत्पादकता संबद्ध बोनस के रूप में देय राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार परिकलित राशि का भुगतान उस विभाग द्वारा किया जाएगा जहां वह कर्मचारी 31 मार्च, 2017 और/अथवा भुगतान के समय कार्य कर रहा था।
(ठ) नामिक के नियत भुगतान पर कार्यरत अंशकालिक कर्मचारी।	(ठ) पात्र नहीं हैं।
2. क्या तदर्थ बोनस निम्नलिखित मामलों में किसी लेखा वर्ष के लिए अनियत मजदूरों को देय है:-	
(क) वो कर्मचारी जिन्होंने उक्त लेखा वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यालयों में विनिर्दिष्ट कार्यदिवसों की अवधि तक काम किया हैं।	(क) इस पात्रता की गणना उक्त लेखा वर्ष से पहले के तीन वर्षों के लिए उलटे क्रम में की जानी होती हैं। इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के 240 कार्यदिवसों की उस अवधि की गणना भारत सरकार के एक से अधिक कार्यालयों में किए गए कार्यदिवसों की संख्या को जोड़कर की जा सकती है जिसके लिए बोनस, अनुग्रही राशि अथवा प्रोत्साहन भुगतान न तो अर्जित किया गया हो और न ही प्राप्त किया गया हो।

उमराव सिंह

(ख) वे अनियत मजदूर जो 31 मार्च, 2017 को कार्य पर मौजूद नहीं थे।	(ख) 31 मार्च, 2017 को सेवायोजन में रहने की शर्त, जैसा कि इन आदेशों में निर्धारित है, नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है न कि अनियत मजदूरों पर।
(ग) वे कर्मचारी जिन्होंने संगत लेखा वर्ष से पहले के दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट कार्यदिवसों में कार्य किया है लेकिन संगत लेखा वर्ष में सेवायोजन में नियमित किए जाने के कारण कार्य दिवसों की न्यूनतम अवधि पूरी नहीं कर पा रहे हैं।	(ग) यदि कोई अनियत मजदूर जिसे लेखा वर्ष में नियमित किया गया है, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार छह माह की न्यूनतम निरंतर सेवा पूरी नहीं करता और इसलिए उसे नियमित कर्मचारी के रूप में यह लाभ नहीं दिया जा सकता, उसे अनियत मजदूर का लाभ दिया जा सकता है बशर्ते कि उक्त वर्ष में नियमित सेवा की वह अवधि अनियत मजदूर के रूप में कार्य की अवधि में जोडे जाने पर उस लेखा वर्ष में दिनों की न्यूनतम विनिर्दिष्ट संख्या बन जाती है।

अमरनाथ सिंह

23

No.7/4/2014/E III (A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(E III-A Branch)
*****

North Block,New Delhi
19th September 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2016-17.

*****

The undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) equivalent to 30 days emoluments for the accounting year 2016-17 to the Central Government employees in Group 'C' and all non-gazetted employees in Group 'B', who are not covered by any Productivity Linked Bonus Scheme. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of Rs. 7000/-, as revised w.e.f 01/04/2014 vide OM No.7/4/2014-E.III(A), dated 29th August, 2016. The payment of ad-hoc Bonus under these orders will also be admissible to the eligible employees of Central Para Military Forces and Armed Forces. The orders will be deemed to be extended to the employees of Union Territory Administration which follow the Central Government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex-gratia scheme.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

(i) Only those employees who were in service as on 31.3.2017 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2016-17 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months);

(ii) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (Ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a year will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will, thereafter, be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of monthly emoluments of Rs. 7000 (where actual average emoluments exceed Rs. 7000), Non-PLB (Ad-hoc Bonus) for thirty days would work out to Rs. 7000x30/30.4=Rs.6907.89 (rounded off to Rs.6908/-).

(iii) The casual labour who have worked in offices following a 6 days week for at least 240 days for each year for 3 years or more (206 days in each year for 3 years or more in the case of offices observing 5 day week), will be eligible for this Non-PLB (Ad-hoc Bonus) Payment. The amount of Non-PLB (ad-hoc bonus)

payable will be (Rs.1200x30/30.4 i.e.Rs.1184.21 (rounded off to Rs.1184/-). In cases where the actual emoluments fall below Rs.1200/- p.m., the amount will be calculated on actual monthly emoluments

(iv) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

(v) Various points regarding regulation of Ad-hoc / Non- PLB Bonus are given in the Annexure.

3. The expenditure on this account will be debitable to the respective Heads to which the pay and allowances of these employees are debited.

4. The expenditure to be incurred on account of Non-PLB (Ad-hoc Bonus) is to be met from within the sanctioned budget provision of concerned Ministries/Departments for the current year.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Amar Nath Singh)
Director.

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list etc.

Copy (with usual no. of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

22

ANNEXURE

Point	Clarification
1. Whether the employees in the following categories are eligible for the benefit of ad-hoc bonus for an accounting year	Subject to completion of minimum six months continuous service and being in service as on 31st March, 2017..
(a) Employees appointed on purely temporary ad-hoc basis.	(a) Yes, if there is no break in service.
(b) Employees who resigned, retired from service or expired before 31st March, 2017.	(b) As a special case only those persons who superannuated or retired on invalidation on medical grounds or died before 31st March, 2017 but after completing at least six months regular service during the year will be eligible for the ad-hoc bonus on pro rata basis in terms of nearest number of months of service.
(c) Employees on deputation/foreign service terms to state governments, U.T.Governments, Public Sector Undertakings, etc., on 31st March, 2017.	(c) Such employees are not eligible for the ad-hoc bonus to be paid by the lending departments. In such cases the liability to pay ad-hoc bonus lies with the borrowing organization depending upon the ad-hoc bonus/PLB/ex-gratia/incentive payment scheme, if any, in force in the borrowing organization.
(d) Employees who reverted during accounting year from deputation on foreign service with the organizations indicated in 'C' above.	(d) The total amount of bonus/ex-gratia received for the accounting year from foreign employer and the ad-hoc bonus, if any, due from a central government office for the period after reversion will be restricted to the amount due under ad-hoc bonus as per these orders.
(e) Employees from state Government/U.T. Admn./Public Sector Undertakings on reverse deputation with the Central Government.	(e) Yes, they are eligible for ad-hoc bonus to be paid by the borrowing departments in terms of these orders provided no additional incentive as part of terms of deputation, other than Deputation Allowance, is paid and the lending authorities have no objection.
(f) Superannuated employees who were re-employed.	(f) Re-employment being fresh employment, eligibility period is to be

	worked out separately for re-employment period; the total amount admissible, if any, for prior to superannuation and that for re-employment period being restricted to the maximum admissible under ad-hoc bonus under these orders.
(g) Employees on half-Pay leave/E.O.L./Leave not due/study leave at any time during the accounting year.	(g) Except in the case of leave without pay the period of leave of other kinds will be included for the purpose of working out eligibility period. The period of E.O.L./dies non will be excluded from eligibility period but will not count as break in service for the purpose of ad-hoc bonus.
(h) Contract employees.	(h) Yes, if the employees are eligible for benefits like dearness allowance and interim relief. Categories not eligible for these benefits would be considered at par with casual labor in terms of ad-hoc bonus orders.
(i) Employees under suspension at any time during the accounting year.	(i) Subsistence allowance given to an employee under suspension for a period in the accounting year cannot be treated as emoluments. Such an employee becomes eligible for the benefit of ad-hoc bonus if and when reinstated with benefit of emoluments for the period of suspension, and in other cases such period will be excluded for the purpose of eligibility as in the case of employees on leave without pay.
(j) Employees transferred from one Ministry./Department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another within the Government of India or a Union Territory Government covered by ad-hoc bonus orders and vice versa.	(j) Employees who are transferred from any of the Ministry/Department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another such office without break in service will be eligible on the basis of combined period of service in the different organizations. Those who are nominated on the basis of a limited departmental or open competitive exam from one organization to a different organization will also be eligible for the ad-hoc bonus. The payment will be made only by the organization where he was employed as on 31st March, 2017 and no adjustments

	with the previous employer will be necessary.
(k) Employees who are transferred from a Government Department/Organization covered by ad-hoc bonus orders to a Government Department/Organisation covered by productivity – Linked Bonus scheme or vice versa.	(k) They may be paid what would have been paid on the basis of emoluments in ad-hoc bonus covered department for the entire year less the amount due as productivity-linked bonus. The amount so calculated may be paid by Department where he was working on 31st March, 2017 and/or at the time of payment.
(l) Part-time employees engaged on nominal fixed payment	(l) Not eligible.
2. Whether ad-hoc bonus is payable to casual labour for an accounting year in the following cases:-	
(a) Those who have put in specified number of days of work in different offices during each of the three years ending with the said accounting year.	a) The eligibility is to be worked out for three years from the said accounting year backwards. The period of 240 days of work in each of these years may be arrived at by combining the number of days worked in more than one offices of the government of India, for which bonus, ex-gratia or incentive payment has not been earned and received.
(b) Casual labour who were not in work on 31st March, 2017.	b) The condition of being in employment on 31st March, 2017 as laid down in these orders is applicable to regular Government Employees and not to casual labour.
(c) Those who have put in at least specified number of days of work in each of two years preceding the accounting year but are short of this limit due to regularization in employment in the said accounting year.	(c) If a casual labour, who has been regularized in the accounting year does not fulfill the minimum continuous service of six months as on 31st March, 2017 and therefore, cannot be granted benefit as a regular employee, he may be allowed the benefit as for a casual labour provided the period of regular service in the said year if added to the period of work as casual labour works out to at least specified number of days in that accounting year.